न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2016 – प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन

1. देवकरण पिता अनोपचंद कोठारी निवासी सरेरी , तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

बवाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा
2. जिला शिक्षा विभाग, जरिये प्रधानाध्यापक राज0 मा0 विद्यालय सरेरी, तहसील हुरडा
3. ग्राम पंचायत सरेरी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरेरी, पंचायत समिति हुरडा तहसील जिला भीलवाडा

–प्रार्थी / निगराकार

–अप्रार्थी / गैर निगराकार

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय दिनांक 16.10.2008 प्रकरण सं. 46/07 निगरानी सरकार बनाम देवकरण

उपस्थित –

1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से
3. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.12.2017

प्रार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका विरूद्व निर्णय दिनांक 16.10.2008 प्रकरण सं. 46/07 निगरानी सरकार बनाम देवकरण प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के यहां निगराकार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ने पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण सं. 20 दिनांक 5.8.84 पटटा सं. 2 दिनांक 31.03.86 को पंचायत ने निर्णय लिया जाकर 50 फीट बाई 60 फीट क्षैत्रफल 3000 वर्गफीट निगराकार के हक में पटटा जारी किया गया । ग्राम पंचायत ने भूमि आबादी की नहीं होते हुए भी विधि विरूद्व जाकर पटटा जारी किया । उक्त पटटे को निरस्त करने हेतु न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के यहां निगरानी पेश की जिस पर तत्कालीन अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा ने तत्कालीन कलक्टर महोदय के दबाव में बिना विधि व तथ्यों की व्याख्या किये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर निर्णय पारित किया , जिसमें विधिक व तथ्यों की भारी भूल होने से यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया हैं । न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 16.10.2008 में मुख्य रूप से पटटा सं. 20 को चरनोट मानकर निरस्त करने में भारी भूल की हैं। पटटा सं. 02 दिनांक 31.03.1986 की भूमि मेवाडा राज के समय बिलानाम कांकड़ काबिल काश्त थी, न कि चरनोट थी । पुनर्विलोकनकर्ता का पटटा सं. 02

आराजी सं. 1197 में दिया गया हैं तथा मौके पर पटटा सं. 02 के जरिये प्रार्थी 1197 में अपना मकान बना रहा हैं । आराजी सं. 1197 के साबिक नम्बर 1157/1 आबादी भूमि थी तथा हाल नम्बर 1197 आबादी भूमि है। जिसमें पटटा देने का अधिकार पंचायत को है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा ने पटटा सं. 02 हाल आराजी नं. 1196 को साबिक आराजी सं. 1155 व 1156 मी. में से बनना मानकर चरनोट मानने में भारी तथ्यात्मक भूल की है। हाल आराजी नं. 1196 साबिक आ.नं. 1157/2 से बना हैं । मौके पर पटटा सं. 02 साबिक आराजी सं. 1157/1 में स्थित हैं जो आबादी भूमि थी व हैं । इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया गया है जो अवश्य पुनर्विलोकन होने योग्य हैं। तत्कालीन तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट सही तौर पर पेश की थी उसमें प्रार्थी का मकान आराजी सं. 1157/1 में ही पाया गया तथा विधिक रूप से पंचायत ने पूरी पत्रावली कायम कर पटटा जारी किया। उसके बाद प्रार्थी ने लाखो रूपये लगाकर निर्माण कराया तथा वहां पर रह रहा है। यदि प्रार्थी का मकान नष्ट हो जाता है तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी । इसलिए यह निर्णय पुनर्विलोकन योग्य हैं । जहां प्रार्थी को पटटा दिया गया हैं वहां पर सघन बस्ती बनी हुयी हैं। पुरानी आबादी हैं । पानी की टंकी बनी हुयी हैं। पशु चिकित्सालय बना हुआ हैं । सरकारी प्याउ बनी हुयी हैं । स्कूल बनी हुयी हैं। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ हैं। सड़के व नालियां बनी हुयी हैं । लाईटें व नल लगे हुए हैं। इन सभी बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देकर जो निर्णय पारित किया हैं, उस निर्णय में ये बिन्दू नहीं लिये गये । केवल मात्र नये पुराने नक्शें को सरसरी तौर पर देखकर राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करके तत्कालीन कलक्टर महोदय के दबाव में आकर निर्णय पारित किया जो काबिल ए पुनर्विलोकन हैं । बाद में बंदोबस्त की नकल में साफ तौर पर आराजी सं. 1156 – 1155 एवं 1157 बिलानाम भूमियां थी । न्यायालय ने इन भूमियों को चरनोट मानकर तथ्यात्मक व विधिक भूल की हैं, जो सुधार योग्य हैं। प्रार्थी ने न्यायालय के यहां अधिवक्ता नियुक्त किया , जिन्होनें कहा कि जब भी निर्णय होगा सूचना दे दूंगा , लेकिन भूलवश उन्होंने भी सूचना नही की तथा प्रार्थी व उसके परिवाजन बीमार हो गये । इस कारण कार्यवाही की तरफ ध्यान नहीं दे सके । माह जुलाई 2016 में राज्य सरकार के नुमाईन्दों ने कहा कि तुम्हार मकान तोड़ेगें तब अधिवक्ता से मिला एवं नकल का आवेदन पेश किया जिस पर 24.8.2016 को नकल प्राप्त हुयी । जानकारी से बिना देरी के यह प्रार्थना पत्र अंदर अवधि पेश हैं । दिनांक 16.10.2008 से नकले प्राप्त हो तहकीक जानकारी होने दिनांक 24.08.2016 तक का समय क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाना न्यायोचित हैं, जिसके लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। अतः प्रार्थना हैं कि पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 16.10.2008 को निरस्त करते हुए प्रार्थी के पटटे को बहाल रखाये जाने का आदेश पारित फरमावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2016 को पंजीकृत करते हुये विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये व जिला अभिलेखालय से पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी सं. 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से

लगायत 08 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 16.10.2008 में मुख्य रूप से पटटा सं. 20 को चरनोट मानकर निरस्त करने में भारी भूल की हैं। पटटा सं. 02 दिनांक 31.03.1986 की भूमि मेवाडा राज के समय बिलानाम कांकड़ काबिल काश्त थी, न कि चरनोट थी । पुनर्विलोकनकर्ता का पटटा सं. 02 आराजी सं. 1197 में दिया गया हैं तथा मौके पर पटटा सं. 02 के जरिये प्रार्थी 1197 में अपना मकान बना रहा हैं । आराजी सं. 1197 के साबिक नम्बर 1157/1 आबादी भूमि थी तथा हाल नम्बर 1197 आबादी भूमि है। जिसमें पटटा देने का अधिकार पंचायत को है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा ने पटटा सं. 02 हाल आराजी नं. 1196 को साबिक आराजी सं. 1155 व 1156 मी. में से बनना मानकर चरनोट मानने में भारी तथ्यात्मक भूल की है। हाल आराजी नं. 1196 साबिक आ.नं. 1157/2 से बना हैं । मौके पर पटटा सं. 02 साबिक आराजी सं. 1157/1 में स्थित हैं जो आबादी भूमि थी व हैं । इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया गया है जो अवश्य पुनर्विलोकन होने योग्य हैं। बाद में बंदोबस्त की नकल में साफ तौर पर आराजी सं. 1156 – 1155 एवं 1157 बिलानाम भूमियां थी । न्यायालय ने इन भूमियों को चरनोट मानकर तथ्यात्मक व विधिक भूल की हैं, जो सुधार योग्य हैं। प्रार्थना हैं कि पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 16.10.2008 को निरस्त करते हुए प्रार्थी के पटटे को बहाल रखाये जाने का आदेश पारित फरमावे ।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका सर्वथा मिथ्या, आधारहीन एवं बेरूनमियाद होने से निरस्तनीय हैं । उक्त निगरानी प्रकरण दिनांक 16.10.2008 को गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर पटटा सं. 02 दिनांक 31.03.1986 को निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्व प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में कोई भी रिट अथवा अन्य कोई कार्यवाही नहीं करायी । पुनर्विलोकन का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी का पटटा निरस्त किये जाने में किसी भी विधि एवं तथ्यों की भूल नहीं की है। जिससे प्रार्थी द्वारा पेश किया गया पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्तनीय हैं । उक्त आदेश दिनांकित 16.10.2008 में न्यायालय द्वारा प्रार्थी का पटटा निरस्त करने के साथ साथ प्रकरण को तहसीलदार हुरडा को निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया था कि भू प्रबन्ध विभाग ने सेटलमेण्ट ऑपरेशन के समय सरेरी के गत खसरा नंबर 1155 व 1156 मी. जो कि चरागाह भूमि थी बिना किसी आधार के नवीन बंदोबस्त के दौरान खसरा नंबर 1196 कायम करते हुए शिक्षा विभाग के नाम पर अभिलिखित किया गया। जिसका भूप्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं हैं । भू प्रबंध विभाग का तथाकथित इन्द्राज विधि विरूद्व होने से रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के विरूद्व सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये अशुद्व इन्द्राज को शुद्व कराने की सुनिश्चितता करे । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार हुरडा ने एक वादपत्र उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा प्ररकण सं. 207/2009 अन्तर्गत धारा 88 रा.टि.ए. एवं धारा 136 प्रस्तुत किया । सहायक कलक्टर गुलाबपुरा द्वारा पारित निर्णय

एवं डिक्री की भी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी हैं। जैसा कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 4/2013 ई.दी. में अपने बयानों में उक्त तथ्यों की जानकारी होना स्वयं स्वीकार किया हैं । प्रार्थी द्वारा अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि प्रार्थी का पटटा सं. 2 आराजी सं. 1197 में दिया गया हैं तथा मौके पर पटटा सं. 02 के जरिये प्रार्थी आराजी सं. 1197 में अपना मकान बना रहा हैं, जबकि उसने उक्त सिविल वाद सं. 4/2013 ई.दी. में यह बयान दिये हैं कि उसे तो आराजी नं. 1196 में सन् 1980–85 में पंचायत ने पटटा दिया था, तो उसके पास है। उसके द्वारा निर्माण आराजी सं. 1196 में ही कराया जा रहा हैं । प्रार्थी के उक्त दोनों कथन सर्वथा विरोधाभासी है। उक्त सिविल वाद सं. 4/2013 ई.दी. को न्यायालय द्वारा दिनांक 19.7.2016 को स्वीकार किया गया हैं और प्रार्थी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य को अतिक्रमण माना हैं और यह आदेश पारित किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करे तथा उनके द्वारा किये गये निर्माण कार्य को निर्णय दिनांक से दो माह की अवधि में अपने खर्चे से हटा लेवे। यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा किये गये अतिक्रमण को अपने खर्चे से नहीं हटाया जाता हैं तो प्रतिवादी सं. 3 को यह अधिकार होगा कि वे वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा किये गये अतिक्रमण / निर्माण को हटाकर वादग्रस्त भूमि को अपने कब्जे में लेवे । उक्त निर्णय एवं डिक्री की कार्यवाही से बचने के लिये ही प्रार्थी द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो कतई मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्तनीय हैं। किसी भी आदेश / निर्णय के पारित होने से 90 दिन की अवधि में ही कोई पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं, किन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.10.2008 को पारित निर्णय का पुनर्विलोकन कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो 8 वर्ष से अधिक अवधि बाद प्रस्तुत किया गया हैं जो बेरूनमियाद होने से निरस्तनीय हैं।

विपक्षी सं. 03 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – "यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– " Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons."

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं । निगरानी प्रकरण सं. 46/2007 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 10.10.2008 को ही निर्णित

कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । **अतएव–**

आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 46/2007 निर्णय दिनांक 16.10.2008 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र में "रिव्यू के आधार में बिना विधि व तथ्यों की व्याख्या किये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर , दबाव में आकर निर्णय पारित किया जाना अंकित किया हैं।" जबकि इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 46/2007 निर्णय दिनांक 16.10.2008 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं । प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता हैं । जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)